P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-8* April- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वृद्धजन और पारिवारिक सामंजस्य : एक अध्ययन

Older and Family Cohesion: A Study

Paper Submission: 20/04/2020, Date of Acceptance: 23/04/2020, Date of Publication: 28/04/2020

आलोक कुमार माहेश्वरी
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग,
नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आलो, अरुणाचल प्रदेश, भारत

स्वामी प्रसाद
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय समाज में वृद्धजनों के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण एवं दोनों के मध्य वर्तमान परिवेश में सामंजस्य की स्थिति का विवेचन सर्वेक्षणात्मक प्रविधि प्रयोग करते हुए किया गया है। तथ्यों का संग्रहण बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर के वृद्धजनों का चयन किया गया है नवीन और पुरातन पीढ़ी के मध्य अविश्वास की अवधारणा का जन्म हुआ है कार्यों में हस्तक्षेप तथा कार्य संपादन एवं उसकी सफलता के प्रति पुरातन पीढ़ी नवीन पीढ़ी के प्रति विश्वास नहीं करती।

In the research paper presented, in the Indian society towards the elderly The approach and the state of harmony between the two have been discussed using the survey method. Collection of facts The elders of the district of Bundelkhand, Hamirpur have been selected. The concept of mistrust is born between the new and the ancient generation. The ancient generation does not believe in the new generation for interference in tasks and editing the work and its success.

मुख्य शब्द : वृद्धजन और पारिवारिक सामंजस्य ।
Elderly and Family Cohesion

प्रस्तावना

बचपन की चंचलता, यौवन की चपलता और प्रौढ़ता के गाम्भीर्य से प्राप्त अनुभव वृद्धावस्था को जीवन की पूर्णता पर पहुँचा कर उसे भविष्य का आधार बना देते हैं। अपने वृद्धों को सामर्थ्यहीन मानना न केवल अनुचित है बल्कि समाज के प्रति अन्याय भी है।

भारत में विगत पांच दशकों में बुजुर्गो को निरन्तर हाशिए पर धकेलने का काम परिलक्षित हुआ है। वर्तमान में वृद्धों एवं युवा पीढ़ी के बीच संवादहीनता की खाई इतनी गहरी हो गई है कि वृद्धों को अनावश्यक तनाव के दंश को सहना पड़ता है।

समृद्धि की आधुनिक परिभाषा से नैतिक, सैद्धान्तिक वैचारिक और मूल्यगत समृद्धि की अवधारणाएं तेजी से नष्ट होती जा रही हैं। मानव की समृद्धि का एक ही अर्थ रह गया है – भौतिक सम्पन्नता । बुजुर्गो के अनुभव के ''स्क्रैप'' कहकर खारिज किया जा रहा है। वे आउटडेटेड और ओल्ड फैशंड जैसे सम्बोधनों से सम्बोधित किये जा रहे है। समाज में नयी सोंच को अवलोकित करने से प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था मानों जीवन का अंग ही नहीं है । उसे तो सुख–मृत्यु के हाथों दे देना चाहिए।

पारिवारिक संबंधो के खास ताने–बाने से संरचित भारतीय समाज में भी उपेक्षित स्थिति निर्मित हो रही है। परिणामतः जीवन मूल्यों में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। भौतिक उन्नति वरदान से अधिक अभिशाप सिद्ध हो रही है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार संयुक्त परिवार आज टूटते चले जा रहे हैं। जहां पर भी संयुक्त परिवार विद्यमान है वहाँ का वातावरण वृद्धों की मानसिकता एवं शारीरिक स्थिति के अनुकूल नहीं है। धनोपार्जन की तलाश और शहरी जीवन के मोह में आज की युवा पीढ़ी प्रायः नगरों की ओर आकर्षित हो रही है। फलस्वरूप वृद्धों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण ने वृद्धों एवं असमर्थो के लिए गहन समस्या उत्पन्न कर दी है।

चिकित्सा पद्धति में उन्नति के साथ–साथ औसत आयु के स्तर में भी वृद्धि हुई है। परिणामतः वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारतीय संस्कृति में वृद्ध माता–पिता एवं परिवार में सभी वृद्धजनों को भगवान का पद दिया जाता है

किन्तु आज के प्रगतिशील युग में हर क्षण बदलते सामाजिक परिवेश में नई पीढ़ी से ऐसी आशा करना ही दुराशा मात्र है। नई पीढ़ी अपने पैरो पर खड़े होते ही वृद्धजनों को अनुपयोगी और भार स्वरूप समझने लगती है। छोटी उम्र से ही उनके अनुशासन में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिन वृद्ध माता–पिता के हाथों में आर्थिक संसाधन केन्द्रित है वहाँ निहित स्वार्थो के कारण वातावरण कुछ भिन्न है। इसके विपरीत जो माता–पिता सन्तान पर आश्रित हैं उनके प्रति श्रद्धा सत्कार तो दूर की बात है प्रायः कर्तव्य की भावना भी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

उम्र बढोत्तरी एक प्राकृतिक एवं अनुलोम (पीछे न जाने वाली) जीवन पद्धति है। इस तथ्य की वास्तविकता अक्सर भ्रामक होती है। बहुत से वृद्ध जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित होते हैं, जो उम्रबढोत्तरी या वृद्धावस्था के क्रम को गतिशीलता प्रदान कर सकता है और बुजुर्ग या वृद्धों को हाशिए में डाल सकता है।

डेमोग्राफिक अर्थ में उम्र बढ़ोत्तरी एक जैविक पद्धति है जो गतिमान एवं निरन्तरता लिए होती है। काल क्रमिक उम्र जैविक और मनोवैज्ञानिक उम्र की नाप नहीं करती है। वृद्धावस्थ कब प्रारम्भ होती है उस उम्र को निश्चित नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक उद्देश्यों जैसा सेवानिवृत्ति का निश्चयकरण, पेंशन योग्य उम्र का निर्धारण तो होता है किन्तु इसका सम्बन्ध जैविक मनोवैज्ञानिक उम्र से नहीं होता है। एक देश के श्रम बल वाली अधिक अवस्था की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा एक आर्थिक बोझ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने में यह बड़ी आवश्यकताएं उत्पन्न करता है, विशेषकर चिकित्सीय व सामाजिक क्षेत्र में उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था अथवा उम्र बढ़ोत्तरी के कारण क्षमताओं की दशाओं के कारण दुर्बल हो गए हैं।

वृद्धावस्था को समझने में दो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं जो परस्पर भिन्न होते हुए भी पारस्परिक रूप से सम्बन्धित होते हैं। वे हैं :–

अ–शारीरिक उम्र

ब–सामाजिक उम्र

शारीरिक उम्र एक व्यक्ति की जैविक दशाओं में परिवर्तन जैसे– बालों के रंग में परिवर्तन, दाँत गिरना, दृष्टि–दोष उत्पन्न होना या कमजोर होना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में ध्यानाकर्षण की स्थिति, शारीरिक व्याधियाँ या रोग आदि से सम्बन्धित हैं।

दूसरा तथ्य सामाजिक उम्र बढ़ोत्तरी जैसे – सामाजिक सुरक्षा, किसी संगठित क्षेत्र में सेवा से निवृत्ति डेमोग्राफिक वर्गीकरण, समाज और व्यक्ति पर इसके प्रभाव आदि से सम्बन्धित प्रशासनिक आधार पर निश्चित की जाती है।

उपर्युक्त दो तथ्य वृद्धावस्था को समझने के महत्वपूर्ण आधार हैं, फिर भी इन तथ्यों के आधार पर वृद्धावस्था को परिभाषित करना कठिन है। किसी ने एक बार कहा था कि मेरे लिए बूढ़ी उम्र मुझसे पन्द्रह वर्ष अधिक है, अर्थात जो मेरी उम्र से पन्द्रह वर्ष बड़ा है, वह बूढ़ा है। जो 45 वर्ष के उम्र के है वे 60 वर्ष की उम्र वालों को बूढ़ा समझते हैं। यहाँ तक कि वृद्ध लोग मुश्किल महसूस करते हैं कि वे बूढ़े या वृद्ध हैं। व्यावहारिक रूप से वृद्धावस्था का विभाजन करने वाली रेखा सेवानिवृत्ति की उम्र को माना जाता है, जो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं उन्हें वृद्धों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें वृद्ध नागरिक के रूप में परिभाषित करता है जो 65 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं क्योंकि इस उम्र के बाद शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है अर्थात शारीरिक अक्षमता प्रकट होने लगती है।

अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों ने 65 वर्ष की उम्र को सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित किया है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य रखी गयी है।

भारत में जनगणात्मक तथ्यों के आधार पर 30–49 व 70 वर्ष से अधिक उम्र को वृद्धावस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रस्तुत शोध आलेख में 30–49 वर्ष आयु समूह से अधिक उम्र के लोगों को वृद्ध मानते हुए अध्ययन के लिए चुना गया है। 30–49 वर्ष आयु समूह से अधिक उम्र के नागरिकों को पाँच आयु समूहों में (30–49, 50–69 तथा 70 वर्ष से अधिक) बाँटा गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु, व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संगठनों, शासकीय संस्थाओं आदि में भिन्न–भिन्न होती है। सेवानिवृत्ति की आयु राजनीतिज्ञों पर लागू नहीं होती क्योंकि वे कभी भी सेवानिवृत्ति नहीं होते । 80 वर्ष की आयु में भी वे पांच वर्षीय शासनकाल के लिए मंत्री पद के योग्य हीं माने जाते हैं। किन्तु यह शर्त किसी अन्य संगठन के कर्मी पर लागू नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सक्रियता की स्थिति में होने के बावजूद भी निष्क्रिय होते हैं। संभवतः इसी कारण से जब वे सेवानिवृत्ति होते है तब वे दूसरों की अपेक्षा अधिक वृद्ध होते हैं।

ऐसी स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति व्यक्ति के वृद्ध होने की कसौटी होती है। यदि वह सेवानिवृत्ति नहीं होता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक विभागीय आलेखों में गलत उम्र दर्शाता है जिससे वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पष्चात भी सेवारत रहता है।

वृद्धावस्था : एक विवेचन

यह शाश्वत सत्य है कि वृद्धावस्था मानव जीवन की संध्या है जिसकी स्थिति देश दुनिया में डूबते हुए सूर्य के समान है और यह जीवन का अनिवार्य क्रम है जिसने भी मानव योनि में जन्म लिया है उसे देर सबेर वृद्धावस्था का शिकार होना ही पड़ता है। प्रश्न यह उठता है कि वृद्ध कौन है और वृद्ध का क्या आशय है हालांकि आज तक इसके लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गयी है लेकिन आमतौर पर 60 वर्ष और उसके बाद के व्यक्ति को बुजुर्ग या वृद्ध माना जाता है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मानव की औसत आयु में काफी वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण है :–

चिकित्सा जगत में अनेकानेक नए अविष्कार, स्वास्थ्य के लिए विशेष जागरूकता तथा विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न ।

वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विगत एक शताब्दी में मानव की औसत आयु में लगभग 30 वर्षो की वृद्धि हुई है। मानव वास्तव में लम्बी जिंदगी जीना चाहते हैं।

जहाँ तक वृद्ध की परिभाषा करने का प्रश्न है तो शब्द कोश के अनुसार वृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है – वृद्धि से सम्पन्न, बुद्धि से युक्त, ठीक उसी प्रकार से जैसे शुद्ध का अर्थ होता है शुद्धि से सम्पन्न और बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि से सम्पन्न। यह बुद्धि आयु की कमी भी हो सकती है और विद्या, धर्म अथवा अनुभव की भी। इसलिए जिस व्यक्ति में आयु विद्या धर्म अथवा अनुभव की वृद्धि हो, वहीं वृद्ध है।

वृद्धावस्था के लक्षण

वृद्धावस्था में मनुष्य में प्रमुख परिवर्तन शारीरिक स्थिति में आता है। उम्र बढ़ने के साथ–साथ व्यक्ति की मांसपेशियों रक्त प्रवाह, श्वास प्रक्रिया और हड्डियों में दुर्बलता आने लगती है जिससे कार्यक्षमता घटने लगती है, यह क्षीणतांए– आँख, कान, नीद, स्वाद, उठने–बैठने आदि के रूप में दृष्टव्य होती है। मांसपेशियों में दुर्बलता आने के कारण कार्य करने में थकावट शीघ्र हो जाती है। वृद्धावस्था में मोतियाबिन्द, मधुमेह, ह्रदयरोग, पक्षाघात, रक्तचाप का बढ़ना आदि रोग गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक व्याधियों के साथ–साथ वृद्धों में मानसिक परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं। जिनका सीधा प्रभाव उनके पारिवारिक परिवेश पर पड़ता है।

पारिवारिक समस्याएं

वृद्धजनों की सबसे प्रमुख समस्या परिवार में उनके सामंजस्य की है। प्रायः यह देखने में आया है कि परिवार के ऐसी धारणा काफी सीमा तक व्याप्त है कि बड़े–बूढ़े अपने परिवारों से कटने लगे हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा वृद्धजनों की अन्य समस्याओं को कई गुना बढ़ा देती है। अपने सभी होते हुए भी वृद्ध अपने आपको लाचार एवं बेवश समझने लगते हैं। जो वृद्ध महिलाएं घर के कामकाज में अपने आपको थोड़ा बहुत व्यस्त रखती है उनकी तो परिजन देख रेख करते हैं, परन्तु वृद्ध पुरूषों की परिवार में कोई विशेष भूमिका न होने के कारण उनकी उपेक्षा में काफी वृद्धि हुई है। वृद्धो की देख रेख उनके परिवार की दिये जाने वाले योगलाभ पर निर्भर करने लगी है। अनेक वृद्ध घर के बाहर के कामों में अपने परिवार की सहायता करते हैं। यह सहायता दूध व सब्जियाँ लाने , घर का अन्य सामान लाने, बिजली व पानी इत्यादि के बिल जमा करने तथा बीमें की किश्तें अदा करने के रूप में होती हैं। इन सबके बावजू वृद्धों को परिवार में वह सम्मान नहीं मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं।

जैसे–जैसे भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन होता जा रहा है, वृद्धों की पारिवारिक समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। देश की जनसंख्या के स्वरूप तथा संस्कृति में होने वाले वृहद परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वृद्धजनों को अपने परिजनों से वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे उनसे आशा करते हैं। आज अनेक ऐसे वृद्ध हैं जो अनाथाश्रमों जैसे वृद्ध संस्थाओं में रह रहे हैं तथा सन्तान होते हुए भी अपने आपको बिना सन्तान कहने हेतु विवश होते जा रहे हैं। उनके अपने बच्चे उसी शहर में होते हुए भी न तो उनसे मिलने आते हैं और न ही, उनके बारे में किसी प्रकार की चिन्ता करते हैं। ऐसे वृद्धजन ''वृद्ध संस्थाओं'' में जो खाने को मिल जाता है उसी से अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। ऐसे अनेक वृद्धों में इस प्रकार की भावना विकसित होने लगती है कि सन्तान के होते हुए भी वे बिना सन्तान हैं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

वृद्धजनों की दूसरी समस्या उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। बुढ़ापे में इन्द्रियाँ कमजोर होने के कारण आंखों की नजर घट जाना, जोड़ों में दर्द होना, स्वाद और सूँघने की चेतना कम हो जाना तथा सुनने की शक्ति घट जाना ऐसे ही कुछ सामान्य रोग हैं जिनका शिकार अधिकतर वृद्ध हो जाते हैं। यदि कोई वृद्ध किसी गम्भीर रोग से पीड़ित हो जाता है तो परिजन पैसों की वजह से उसका उचित इलाज नहीं करवाते हैं। कई बार तो उन्हें डाक्टर के पास भी यह कहकर नहीं जाने दिया जाता है कि रोज–रोज फीस देने हेतु उनके पास पैसे नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है परन्तु उनका इतना अधिक व्यापारीकरण हो गया है कि अनेक चैरिटेबिल अस्पताल भी मरीजों की जेबें काटने में पीछे नहीं हैं। नर्सिग होम वालों ने तो इसे एक होटल रूपी व्यवसाय ही बना लिया है। मरीजों से मुँह मांगा कमरों का किराया लिया जाता है तथा उन्हें भारी भरकम किराये वालें कमरों में रहने के लिए यह कहकर विवश किया जाता है कि जनरल वार्ड में तो कोई बिस्तर ही खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में अनेक परिवार वृद्धों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं।

इसीलिए आए दिन की बीमारी से अनेक वृद्ध इतना ऊब जाते हैं कि वे जीवित रहना ही नहीं चाहते । इसीलिए अनेक देशों में ''मृत्यु के अधिकार'' की मांग की जाने लगी है जो व्यक्ति जीना नहीं चाहता है उसे मृत्यु का अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार की मांग उन वृद्ध रोगियों की तरफ से अधिक पनपने लगी है जो जिन्दा होते हुए भी अपने आपको मृतप्राय समझने लगे हैं अथवा जो ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनका परिणाम अन्ततः कष्टदायक मृत्यु ही है। वे सोचते हैं कि अगर मृत्यु का अधिकार उन्हें मिल जाए तो वह किसी डॉक्टर के पास आकर अपने कष्टमयी जीवन से मुक्ति हेतु मृत्यु का इंजेक्शन लगवा लेगें। यद्यपि किसी देश में इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही इस प्रकार की माँग को उचित माना गया है, तथापि यह सोचने का विषय है कि वृद्धजन इस प्रकार का अधिकार क्यों माँग रहे हैं।

आर्थिक समस्याएँ

वृद्धजनों की एक प्रमुख समस्या अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की है। भारत में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्ध निर्धनता रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन

कर रहे है।। वृद्धों में विधवाओं की संख्या 55 प्रतिशत है। ऐसा माना जाता है कि वृद्धों की आज सबसे प्रमुख समस्या यह है कि आर्थिक साधनों के अभाव में वे जियें तो कैसे जिये, जीने का डर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। पहले वृद्धजन अपने बच्चों को ''बुढापे की लाठी'' कहा करते थे, परन्तु अब ऐसा लगता है कि यह लाठी उनको किसी प्रकार का सहारा नहीं दे पा रही है। वे वृद्धावस्था में अपने बच्चों पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। यदि बच्चे बुजुर्गो का उचित ध्यान नहीं रखते तो उनमें अकेलापन एवं मानसिक डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ विकसित होने लगती है। वे अपने आपको बेसहारा एवं परिवार में रहते हुए भी बेवश महसूस करने लगते हैं।

वृद्धों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है जिससे कि वे स्वयं अपनी आवश्कताओं की पूर्ति कर सकें। इसमें केवल वे वृद्ध अपवाद हैं जिन्हें पेंशन मिलती है। परन्तु उनकी दशा भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब बच्चे उनकी आवश्यकताओं की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते तो उनमें निराशा विकसित होना एक सामान्य बात बन जाती है। जो वृद्ध पेंशन इत्यादि द्वारा अपनी आवश्कताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं उनसे भी उनके परिजन पेंशन का पैसा किसी न किसी बहाने लेते हैं उन्हें वृद्धावस्था में नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देते हैं । वे इसलिए भी विवश हो जाते हैं कि परिवार का कोई विकल्प उनके सामने नहीं होता है। वे इसी बात से संतोष कर लेते हैं कि उनकी देखभाल न होने के बावजूद वे अपने परिजनों के साथ ही रह रहे हैं। कम–से–कम पड़ोसी तो यह नहीं सोचेंगे कि उनके बच्चे उनकी देख–रेख नहीं कर रहे हैं। लोक लाज उन्हें घर पर रहने तथा सभी प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए विवष कर देती है।

अध्ययन का उद्देश्य

बदलते सामाजिक परिवेश में अन्तर–पीढ़ी संघर्ष की तीव्र होती प्रक्रिया का दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नांकित उद्देश्य किए गए हैं :–

1. युवा और बुजुर्ग /वृद्ध वर्ग के जनसंख्यात्मक परिप्रेक्ष्य की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना (वर्ष 2001–2011 की जनगणना के परिप्रेक्ष्य में)
2. युवा और बुजुर्ग/ वृद्ध वर्ग के व्यक्तियों के मध्य मत भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करना।
3. युवा और बुजुर्ग/ वृद्ध व्यक्तियों के मध्य पारिवारिक सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करना।
4. युवा और बुजुर्ग/ वृद्ध व्यक्तियों के मध्य सामाजिक सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध आलेख के लिए तथ्यों के संकलन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद के युवा एवं वृद्ध व्यक्तियों का चयन किया गया है। जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। जनपद हमीरपुर चित्रकूटधाम मण्डल का जनपद है जिसकी सीमाएं कानपुर देहात, जालौन, बाँदा तथा महोबा जनपदों की सीमाओं को छूती हैं। यह जनपद रेल तथा सड़क मार्ग से जुडा होने के साथ औद्योगिक संस्थानों की दृष्टि से बुन्देलखण्ड भू–भाग में अपना विशेष स्थान रखता है। हमीरपुर जनपद को शोध प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र चुना गया है। अध्ययन क्षेत्र के 200 वृद्ध व्यक्तियों साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के माध्यम से किया गया है। समय तथा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर क्षेत्र का चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र , वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करने तथा उपकल्पनाओं के सत्यापन की दृष्टि से उचित है।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन के निष्कर्ष हेतु तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार तथा गहन अवलोकन, दोनो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करके, अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का व्यवस्थित संकलन किया गया है। साक्षात्कार माध्यम से प्राप्त जानकारी अपने आप में पर्याप्त नहीं थी अतः विभिन्न परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं मनोवृत्तियों के साथ ही उनके सामाजिक परिवेश के यथार्थ ज्ञान के लिए अवलोकन प्रविधि का आश्रय लेना उचित प्रतीत हुआ है। अध्ययन हेतु चयनित परिवारों के भू–स्वामित्व, कृषित भूमि, जनसंख्या, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक संरचना, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्र कर उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण पूर्णतया क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है जबकि द्वैतीयक आंकड़ों के संग्रहण में जनगणना पुस्तिका गजेटियर तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों का सहारा लिया गया है।

उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के समय भी अपेक्षित तथ्यों के संकलन के साथ ही सामाजिक जीवन, पारिवारिक संरचना के प्रति दृष्टिकोण, पारिवारिक विघटन के सामाजिक एवं वैयक्तिक कारणों की विस्तृत जानकारी निरन्तर प्राप्त की जाती रही। सामाजिक कार्यकर्ताओं, वृद्धाश्रम संचालित करने वाले प्रबन्धकों समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क करने से सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में अत्याधिक सहायता प्राप्त हुई। कई बार चयनित परिवारों में जाने से उन परिवारों के सदस्यों के साथ मैत्री एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गये

वृद्ध व्यक्तियों के समाजार्थिक समस्याओं का अध्ययन करने हेतु तथ्यों को एकत्रित करने हेतु बनाई जाने वाली साक्षात्कार अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पहले उसका, अध्ययन क्षेत्र के कुछ उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके पूर्व परीक्षण किया गया। प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रयुक्त अनुसूची में मुक्त प्रकार के विकल्पहीन तथा पूर्व निर्धारित विकल्प वाले दोनों प्रकार के प्रश्न आवश्यकतानुसार रखे गये हैं।

तालिका –1

वृद्ध व्यक्तियों द्वारा युवाओं को सलाह देने की स्थिति

क्रं.	आयु समूह (वर्षो में)	सलाह देने की स्थिति					
		हॉ		नहीं		कभी–कभी	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	**30–49**	25	12.5	05	2.5	15	7.5
2	**50–69**	55	27.5	12	6.0	30	15.0
3	**70 से ऊपर**	30	15.0	20	10.0	08	4.0
	योग –	**110**	**55.0**	**37**	**18.5**	**53**	**26.5**

स्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर

वृद्ध व्यक्तियों द्वारा युवाओं को उनके विभिन्न कार्यो में सलाह देने की स्थिति का उल्लेख तालिका –1 में किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के 55.0 प्रतिशत वृद्ध युवाओं को उनके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यो के लिए यथोचित सलाह देते हैं। 18.5 प्रतिशत वृद्ध ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक युवाओं को किसी प्रकार की सलाह नहीं देते हैं। 26.5 प्रतिशत वृद्ध अपने परिवार के युवाओं को कभी–कभी सलाह देते हैं। आयु समूह 50–69 वर्ष के 27.5 प्रतिशत वृद्ध युवाओं को सलाह देते हैं । इसी आयु समूह के 15.0 प्रतिशत वृद्ध कभी–कभी सलाह देते हैं। तालिका से स्पष्ट होता है 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध ऐसे हैं जो युवाओं को कभी–कभी सलाह देते हैं ऐसे वृद्धों का प्रतिशत 4.0 है।

तालिका –2

युवाओं द्वारा सलाह मानने की स्थिति

क्रं.	आयु समूह (वर्षो में)	युवाओं द्वारा सलाह मानने की स्थिति					
		हॉ		नहीं		कभी–कभी	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	**15–19**	05	2.5	35	17.5	10	5.0
2	**20–24**	11	5.5	34	17.0	30	15.0
3	**25–29**	12	6.0	36	18.0	27	13.5
	योग –	28	14.0	105	52.5	67	33.5

स्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका –2 में युवाओं द्वारा अपने बुजुर्गो को दी गयी सलाह को मानने या न मानने की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 52.5 प्रतिशत युवा अपने बुजुर्गो द्वारा दी गयी सलाह को बिल्कुल ही नहीं मानते है। 33.5 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जो बुजुर्गो की सलाह को कभी–कभी मानते हैं और उसके अनुसार कार्यो का सम्पादन करते हैं। 14.0 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गो की दी गयी सलाह पर अमल करते हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे युवाओं की उम्र आगे बढ़ती है वे अपने बुजुर्गो की सलाह मानने लगते हैं।

अध्ययन के दौरान पाया कि युवाओं को अपने बुजुर्गो द्वारा दी गयी सलाह ठीक नहीं लगती है और वे उसके अनुसार कार्य करने में किसी प्रकार की रूचि नहीं होती वे अपने बुजुर्गो द्वारा दी गयी सलाह को 'दकियानूसी' विचार कहकर उपहास उड़ाते हैं तथा उन्हें परम्परावादी कहकर उपेक्षा कर देते हैं।

तालिका –3

युवाओं का वृद्ध व्यक्तियों के प्रति व्यवहार

क्रं.	आयु समूह (वर्षो में)	वृद्ध व्यक्तियों के प्रति व्यवहार					
		बुरा		अच्छा		बहुत अच्छा	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	**30–49**	11	5.5	20	10.0	14	7.0
2	**50–69**	40	20.0	45	22.5	12	6.0
3	**70 से ऊपर**	35	17.5	18	9.0	05	2.5
	योग –	86	43.0	83	41.5	31	15.5

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

युवा वर्ग का व्यवहार वृद्ध व्यक्तियों के प्रति भौतिकवादी सोच के साथ बदलता जा रहा है। युवाओं को वृद्ध व्यक्तियों के प्रति व्यवहार को तालिका संख्या 4.22 में दर्शाया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र के 43.0 प्रतिशत वृद्ध अपने–अपने युवाओं के व्यवहार से दुखी हैं उनका मानना कि युवाओं का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। यह प्रतिशतांक सर्वाधिक है। 41.5 प्रतिशत वृद्धों का मानना है कि युवाओं का उनके प्रति व्यवहार अच्छा है। 15.5 प्रतिशत वृद्धों ने स्वीकार किया कि उनके परिवार के युवा उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आयु समूह 50–69 वर्ष के वृद्ध मानते हैं कि उनके प्रति युवाओं का व्यवहार बुरा है इसी आयु समूह के 22.5 प्रतिशत ने माना कि युवा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यह प्रतिशत अपने समूह में सर्वाधिक है।

तालिका – 4

युवाओं द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान रखने की स्थिति

क्रं.	आयु समूह (वर्षो में)	ध्यान रखने की स्थिति					
		हॉ		नहीं		कभी–कभी	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	**15–19**	15	7.5	16	8.0	19	9.5
2	**20–24**	20	10.0	45	22.5	10	5.0
3	**25–29**	18	9.0	52	26.0	05	2.5
	योग –	53	26.5	113	56.5	34	17.0

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका–4 में युवाओं द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के ध्यान रखने की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के 56.5 प्रतिषत युवा अपने बुजुर्गो का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। 17.0 प्रतिशत युवा कभी–कभी बुजुर्गो की समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग देते हैं। 26.5 प्रतिशत युवाओं ने माना कि वे अपने परिवार के बुजुर्गो का ध्यान रखते हैं। आयु समूह 20–24 वर्ष के 10.0 प्रतिषत युवा अपने बुजुर्गो का ध्यान रखते हैं । इसी समूह के 22.5 प्रतिशत युवा अपने बुजुर्गो का ध्यान नहीं रखते

हैं। 5.0 प्रतिशत युवा कभी–कभी अपने बुजुर्गो का ध्यान रखते हैं।

तालिका –5
वृद्धों के परिवार में कलह की स्थिति

क्रं.	आयु समूह (वर्षो में)	कलह की स्थिति					
		हॉ		नहीं		कभी–कभी	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	30–49	21	10.5	05	2.5	19	9.5
2	50–69	44	22.0	13	6.5	40	20.0
3	70 से ऊपर	32	16.0	03	1.5	23	11.5
	योग –	97	48.5	21	10.5	82	40.0

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका–5 में वृद्ध उत्तरदाताओं के परिवार में कलह की स्थिति का उल्लेख किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के 48.5 प्रतिशत वृद्धों ने स्वीकार किया कि उनके परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। जबकि 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उनके परिवार में कभी–कभी कलह होती है। 10.5 प्रतिशत वृद्धों के परिवारों में कलह नहीं हेाती है। आयु समूह 50–69 वर्ष के 22.0 प्रतिशत वृद्धों के परिवारों में कलह बनी रहती है। जबकि 20.0 प्रतिशत वृद्धों के परिवारों में कभी–कभी कलह होती है। 6.5 प्रतिशत वृद्धों ने माना कि उनके परिवार में कभी भी कलह नहीं होती।

अध्ययन के दौरान पाया गया कि परिवार में कलह का कारण कमोवेश युवा और बुजुर्गो के मध्य वैचारिक मत भिन्नता के कारण होती है और उसके केन्द्र बिन्दु में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बुजुर्ग होते हैं। ऐसे बुजुर्गो की संख्या अधिक होती है जो किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं।

शोध अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वे निम्नलिखित हैं–

1. बदलते परिवेश में दो पीढ़ियों के मध्य जो मत भिन्नता दृष्टिगत होती है उसके पीछे वर्तमान सामाजिक संरचना के कारण प्रभावी है।
2. परिवार संस्था जो युगों से सामाजिक संरचना का आधार रही है। उसके आधारभूत उद्देश्यों में सिद्धान्तों में परिवर्तन अन्तर पीढी संघर्ष का एक कारण है। संयुक्त परिवार जो भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषता रही है। वर्तमान में विघटित हो रही है उसके स्थान पर एकाकी और केन्द्रीय परिवारों की अवधारणा प्रबल हो रही है।
3. वर्तमान भारतीय सामाजिक मूल्यों एंव आदर्शो में तथा पुरातन में व्याप्त रहे सामामजिक मूल्यों एवं आदर्शो में पर्याप्त भिन्नताएं है, समूह के स्थान पर वैयक्तिक मूल्यों की प्रधानता बलवती हुई है ।
4. वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना पर पड़ा है।
5. नवीन और पुरातन पीढ़ी के मध्य अविश्वास की अवधारणा का जन्म हुआ है। कार्यो में हस्ताक्षेप तथा कार्य सम्पादन एवं उसकी सफलता के प्रति पुरातन पीढ़ी नवीन पीढ़ी पर विश्वास नहीं करती तथा शंका की दृष्टि से देखती है। नवीन पीढ़ी पुरातन पीढ़ी की इस शंका से कुण्ठित होती है। परिणामस्वरूप संघर्ष तथा मत भिन्नताएं उत्पन्न होती है।
6. नगरीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया से जहां व्यक्ति में भौतिकवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है वहीं अपनी परम्परागत जीवनशैली और आदर्शो में व्यापक परिवर्तन के परिणामस्वरूप अन्तर–पीढ़ी संघर्ष बढ़ा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Homban, David, 1978. Social Challenge of Aging. London.*
2. *Kilty, K.M. & A Feld, 1976. Attitudes toward aging and the needs of other people, Journal of Gerontology.*
3. *Mahajan, A, 1987. Problems of the Aged in unorganized Sector. Delhi.*
4. *Nair, T.Krishnan, 1980. Other People in Rural Tamil Nadu, Madras.*
5. *Raghani, V. and N.K.Singhi, 1970. "A Survery of Problems of Retired Persons" Jaipur.*
6. *Raj, B and B.G. Prasad., 1971. " A Study of Rural Aged Persons in Social Profile. Bombay.*
7. *Bamamurti. P.V., Problems of Aging in Industry.*
8. *Sati, P.M., 1988. Retired and Aging People. Delhi.*
9. *Sharma, M.L. & T.M. Dak, 1987. Aging in India. Delhi*
10. *कर्वे, इरावती, भारत में नातेदारी व्यवस्था*
11. *मुखर्जी, आर.एन., सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी*
12. *अग्रवाल जी.के., समाजशास्त्र (आगरा)*

Reports

1. *World Development Report Oxford University 1987.*
2. *Report of the Study team on over dues of cooperative credit sureties RBT 1974.*